

पौंग बांध विस्थापिता हेतु सूचना

पौंग बांध विस्थापितों को सूचित किया जाता है कि जिनको राजस्थान सरकार द्वारा मुरव्वे आबंटित किए जाने हैं तथा जिनके प्रकरण वर्ष 2015 से पहले के आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर कार्यालय के विचाराधीन है, उन परिवारों से अनुरोध है कि निम्नलिखित दस्तावेजा इस कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। ताकि इन प्रकरण को निपटारे हेतु पुनः आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के कार्यालय को भेजा जा सके।

1. मूल पौंग बांध विस्थापित का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारसान प्रमाण पत्र।
2. सभी वारसानों के आधार कार्ड/पहचान।
3. राजस्थान में मुरव्वा आबंटित नहीं होने का व द्वितीय चरण भूमि आबंटन करने का शपथ पत्र।
4. प्रकरण के संबंधित दस्तावेज सलंग्न करें।
5. जाति प्रमाण पत्र।

कार्यालय

उपायुक्त (राहत एवं पुनर्वास)

राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

फोन नं. 01893 250045